कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

दूरभाष / फैक्स नं0 05964–225115 E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

पत्रांक 1226 / 22 यात० दिनांक 8 / 04 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ में किल्ल वर्तियाकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.6 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1053 / X –4–15 / 1(533) / 2015 दिनांक 07–11–2015।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में लगाई गई शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के को आपके माध्यम से प्रेषित की जानी है जिस हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार संलग्न है।

क्रम सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित भूमि के बदले 7.2 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो के समाहित करने हेतु यथा संशाधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्त के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानतरण एंव नामान्तरण किया जायेगा। तथा 6 माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में आववश्यक धनराशि रू0 5436223.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 2207023.00 , क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3292200.00) जमा की गयी है। साथ ही बडी हुई दरो पर एन0पी0वी0 / क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु UTRNO UBIN J24094 309151 दिनांक 03–04–2024 द्वारा रू0 1711476.00 जमा कर दी गयी है । भुमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्रं सं0 1051 / सात –70 / 2015 –16 दिनांक 19 मई 2016 को 7.2 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	मार्ग के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालयं के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में आववश्यक धनराशि रू0 5436223.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 2207023.00 , क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3292200.00) जमा की गयी है। साथ ही बडी हुई दरो पर एन0पी0वी0 / क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1711476.00 जमा की गयी है।
4	प्रयोक्ता अभिकारण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी की दर से बढोत्तरी होती है तो वढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा।की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

Scanned by Camera Scanner

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या –05–03 /2007 –एफ0 सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशो के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0 –25229 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक –11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैक ड्राफ्ट / चैक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुंपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 ,क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0 एंव क्षतिपूरकण वृक्षारोपण हेतु धनराशि को पावती की छाया प्रति व ड्राफ्ट की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू –वैज्ञानिक के सुझावो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	भू वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 कें अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो / प्रमाण पत्रो को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकारी अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्तो का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार , पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावत विभाग द्वारा शर्ते मान्य है।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावत विभाग द्वारा शर्ते मान्य है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य शर्ते विभाग को मान्य होगी।

सलग्न – चार प्रतियो में

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखिन को आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वनसंरक्षक एव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी पिथौरागढ।
3. सहायक अभियन्ता ,प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 पिथौरागढ।
4. खण्डीय अमीन ,प्राख0 लो0नि0वि0, पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

Scanned by Camera Scanner

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-03-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111159519
MoEF/SG File No.	1(533)/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARHPithoragarh
Amount(in Rs)	5436223/-

Amount in Words :Fifty-Four Lakh Thirty-Six Thousand Two Hundred and Twenty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111159519 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-03-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111159519
MoEF/SG File No.	1(533)/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH Pithoragarh
Amount(in Rs)	5436223/-

Amount in Words :Fifty-Four Lakh Thirty-Six Thousand Two Hundred and Twenty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111159519 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

19/3/2021
Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Pithoragarh

Received
20/03/2021
Sent for cheque clearance

Scanned by Camera Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पिथौरागढ़।

दूरभाष / फैक्स नं0 05964–225115 E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

पत्रांक / कैश दिनांक / / 2024

भुगतान आदेश

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून के पत्रांक 12/25 बजट (एन0पी0वी0 भुगतान)/2023–24 दिनांक 24.05.2023 के क्रम में निम्न सारणी अनुसार एन0पी0वी0/वृक्षारोपण की धनराशि कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ के पत्रांक 527/12–1 दिनांक 31.07.2023 द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोट के क्रम में उनके क्रमांक के सम्मुख अंकित धनराशि के सापेक्ष भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में देयक प्रथम बार प्रस्तुत किया है तथा पूर्व में इसका भुगतान नहीं किया गया है। जिसकी धनराशि कार्यालय में उपलब्ध वन विभाग के यूजर आईडी0 से चालान जनरेट कर प्रेषित की जानी है। जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	नाम	योजना का नाम	योजना का मद	स्वीकृत भुगतान राशि	ई चैक की धनराशि
1	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।	किल्ल से वर्तियाकोट मो0मार्ग।	एन0पी0वी0 / वृक्षारोपण	1711476.00	1711476.00

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

पत्रांक 458/ कैश दिनांक 13/02/2024

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन, पेट्रोलियम संस्थान, कौलागढ़, जिला देहरादून,पिन कोड– 248195 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

Scanned by Camera Scanner

कियर्व से वर्तिमाकोट मो० मार्ग.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111159871
MoEF/SG File No.	1(533)/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Amount(in Rs)	1711476/-

Amount in Words :Seventeen Lakh Eleven Thousand Four Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896111159871 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challa
even after 7 working days, then kindly mail a copy of yo
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@un
ubin0903710@unionbankofindia.bank

चैक सं० 953724 दि० 16.2.24
Dt:- 02/4/2024
UTR:- UBINJ 24 094 30915

Executive Engineer
Provincial Divn. P.W.D.
Pithoragarh
Code No:- 1112

Scanned by Camera Scanner
Scanned by Camera Scanner

1653
20/5/16
22 माह

आदेश.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृत निर्गत पत्र संख्या–1053/X–4–15/1(533)/2015 दिनांक 07.11.2015 द्वारा किल्ल से वर्तियाकोट मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.6 है0 वन भूमि के बदले दोगुनी 7.2 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार किल्ल से वर्तियाकोट मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.6 है0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की सहमति/संस्तुति के आधार पर ग्राम मूनाकोट पट्टी मूनाकोट तहसील पिथौरागढ़ के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–85 श्रेणी–9(3) ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 3716 मध्ये रकवा 0.981 है0, 3762 म0 रकवा 1.753 है0, 3764 रकवा 0.845 है0, 3766 म0 रकवा 1.180 है0, 3768 रकवा 0.763 है0, 3770 रकवा 0.636 है0, 3771 म0 रकवा 1.042 है0 कुल 07 खेतों की 7.200 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मई 18, 2016

(एच0सी0 सेमवाल)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या–1051/सात– 70/2015–16 दिनांक मई 19, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
5. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1653/22 माह/R. 23/5/16

(एच0सी0 सेमवाल)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

छाया प्रति प्रेषित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

Scanned by Camera Scanner

प्रारुप–30.4

दिनांक 03/03/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बर्तियाकोट (जाखपैत)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	जीवन चन्द	[illegible]
4.	प्रेम चन्द	[illegible]
5.	कैलाश चन्द जोशी	[illegible]
6.	दिनेश जोशी	[illegible]
7.	पीताम्बर दत्त जोशी	[illegible]
8	भीम बहादुर	[illegible]
9.	रिवलानंद जोशी	[illegible]
10	राजकिशोर जोशी	[illegible]
11	नीलाम्बर जोशी	[illegible]
12	राजेन्द्र चन्द	[illegible]
13	चन्द्र बहादुर चन्द	चन्द्र बहादुर चन्द
14	गोपाल चन्द	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	दिवान सिंह	दिवान सिंह
17.	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
18.	भूपालराम	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]
20	दीवानी राम	[illegible]
21	सन्तोष चन्द	[illegible]
22	बसन्ती देवी	बसन्ती देवी
23	Harish Singh भगवान सिंह	भगवान सिंह
24	गोविन्द बल्लभ जोशी	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	बहादुर सिंह	[illegible]
27	भास्कर दत्त जोशी	[illegible]
28	प्रेम चन्द	[illegible]
29	भरत चन्द	[illegible]
30	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
31	दीपक चन्द	[illegible]

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ़ 40

ग्राम प्रधान
[illegible]

Scanned by Camera Scanner

Anexure-4

1295
27/3/015
(लखनपाल)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र
ग्राम पंचायत का नाम (बर्तियाकोट) (जाखपन्त)
तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण,** (..0.00.. हे0 आरक्षित वन भूमि, ..3.60.. हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ..0.00.. हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ..3.60.. हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02/02/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **बर्तियाकोट** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/--
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/--
सरपंच/

ह0/--
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

जाखपन्त

AE II
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ

AAE D. Giri Roy.

Scanned by Camera Scanner

Anex

दिनांक 18.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पचायत **बडालू**

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	भगवान चन्द	भगवान चन्द
2-	सुनीला सिंह	सुनील
3-	पूरन चन्द	[illegible]
4-	भूपाल चन्द	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	गोपाल सिंह	[illegible]
11	मोहन चन्द	[illegible]
12	M. C. Joshi	[illegible]
13	Prakash Joshi	[illegible]
14-	वार्ड 1 - सम्मानित सदस्य मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
15 -	वार्ड 3 - — " — रविन्द्र प्रसाद	रविन्द्र प्रसाद
16 -	वार्ड 4 — — " — रेनू देवी	रेनू देवी
17 -	वार्ड 5 - उप प्रधान गणेश प्रसाद	गणेश प्रसाद
18 -	वार्ड 6 - सदस्य कबीता देवी	कबीता मेहता
19 -	नवीन चन्द्र जोशी	[illegible]
20 -	राकेश सिंह	[illegible]
21 -	महेन्द्र सिंह	[illegible]
22-	पुष्पा देवी	[illegible]
23-	हेमा मेहता	[illegible]
	गोविन्द वल्लभ जोशी	

शान्ति जोशी

ह0 / ग्राम प्रधान

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ

Scanned by Camera Scanner

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण

अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पचायत का नाम बडालू

तहसील पिथौरागढ जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण, (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.60 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.60 हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 18-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है । * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बडालू (किल्ल) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

18/2/15

ह0 / –
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0 / –
सरपंच /

ह0 / –
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ

Scanned by Camera Scanner

Annexure —(1)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण** । , (.....शून्य..... हे0 आरक्षित वन भूमि, ...3.6..... हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि .....शून्य..... हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल .....3.6..... हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **पिथौरागढ़**) की दिनांक –10/3/15– को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्य , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री अनुराग आर्य	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री दीपक आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीकुमारी अनिता	बी0डी0सी0 क्षेत्र –जाखनी–	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण** , परियोजना हेतु .....3.60..... हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **पिथौरागढ़** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **पिथौरागढ** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु .....3.6..... हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–पिथौरागढ
(उत्तराखण्ड)
जनपद –पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **पिथौरागढ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ
जनपद– पिथौरागढ
(उत्तराखण्ड)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ

Scanned by Camera Scanner

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT **Pithoragarh** (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ***Pithoragarh*** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Sushil Kumar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 12-03-15 at time 3:30 ....at ..P.M... in which application claiming rights in 11.430 hect. area measuring *3.6* hect for the construction of ***Kill To Bartiyakot motor road*** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Bin (Pithoragarh)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Pithoragarh
Dated:..12-03-15

जिला अधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
पिथौरागढ़
District Level Committe

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ

Scanned by Camera Scanner

प्रारुप–30

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
No---

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated-12/3/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.60 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Bartiyakot village (s) in Pithoragarh tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.60 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure(1).to ...annexure(.5)

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Sushil Kumar)

[illegible] अधिकारी
पिथौरागढ़

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

Scanned by Camera Scanner

प्रपत्र–1.6

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण –पत्र

जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत प्रस्तावित **जनपद पिथौरागढ में किल्ल से वर्तियाकोट** मोटर मार्ग (4.00कि0मी0) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल **3.60** है0 भूमि प्रस्तावित है। जिसमें सिविल सोयम की भूमि **3.600** है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण नहर निर्माण पारेसण लाईन ओ0एफ0सी0 केविल पाइप लाइन विछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम. 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural tribal Groups)प्रभावित नहीं हो रहा है।

ह0/–

तहसीलदार

जिलाधिकारी

सत्य प्रति प्रस्तावित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,-लो0नि0वि0
पिथौरागढ

Scanned by Camera Scanner

उद्धरण खतौनी (गैर ज0वि0)

ग्राम का नाम ...कनारी... रा0उ0नि0 क्षेत्र ...तेजीपुरी... तहसील एवं जिला पिथौरागढ़

विषय – लोक निर्माण विभाग के स्थापित लाइनों से प्रभावित हो रही भूमि के बदले कृषि भूमि उपलब्धता हेतु कृषि के प्रस्ताव से संबंध है

श्रेणी – 10(5) अन्य कारणों से अतिरिक्त बंजर भूमि

खाता खतौनी संख्या	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (ना0मु0)/ (हे0)	विवरण
1	2	3	4	5	6
51	बंजर नाप काबिल	1374	409	6188	
			758	0.018	
			808	0.160	
			1082	0.438	
			1112	1.108	
			1239	0.388	
	योग –		6	7.298 हे0	छाया प्रति सत्यापित सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

महोदय,

असल खतौनी से नकल खतौनी तैयार की।

राजस्व उप निरीक्षक–तेजीपुरी
तहसील व जिला– पिथौरागढ़।

Scanned by Camera Scanner

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण

आख्या / आर0सी0यू0 26 / सडक / कुमायूँ 2014

कार्य का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में जिला योजना के अन्तर्गत किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित 4.00 किमी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जूलाई , 2014

Scanned by Camera Scanner
Scanned by Camera Scanner

जनपद पिथौरागढ़ में जिला योजना के अन्तर्गत किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित 4.00 किमी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1:— प्रस्तावना:— प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अधीन किल्ल से वर्तियाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के द्वारा किये गये, अनुरोध पर पत्रांक 979 (अ)/ 1 याता दिनांक 12.06.2014) स्थल निरीक्षण दिनांक 01.07.2014 को ई0 एच0एस0 बथ्याल, सहायक अभियन्ता एवं ई0 दिनेश गिरीराज, अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षणस्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि प्रस्तावित भू—भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

2:— स्थिति:— प्रस्तावित सड़क संरेखन, पिथौरागढ़ झूलाघाट मोटर मार्ग पर स्थित किल्ल नामक स्थान से प्रारम्भ होता है एवं 4.000 किमी0 की लम्बाई के पश्चात् बर्तियाकोट के नीचे घार पर समाप्त होता है। स्थिति के लिए मानचित्र एवं फोटोग्राफ संलग्न है।

3:— भूगर्भीय स्थिति:— प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू—भाग में देववन (गंगोलीहाट) फारमेशन की चट्टाने दृष्टिगोचर होती हैं, जो परपिल सेल, ग्रे स्लेट, क्लोराइट सिस्ट तथा डोलोमाइट के साथ इन्टरबेडेड हैं। इन चट्टानों पर किया गया भू—गर्भीय अध्ययन इस प्रकार है:—

1.	100—280	पूर्व दक्षिण पूर्व— पश्चिम उत्तर पश्चिम	48° उत्तर पूर्व उत्तर	नति।
2.	70—250	उत्तर पूर्व— दक्षिण पश्चिम	34° उत्तर पश्चिम	नति ।
3.	70—250	उत्तर पूर्व— दक्षिण पश्चिम	28° उत्तर पश्चिम	नति ।
4.	120—300	दक्षिण पूर्व— उत्तर पश्चिम	20° उत्तर पूर्व	नति ।
5.	110—290	दक्षिण पूर्व— उत्तर पश्चिम	46° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन।
6.	120—300	दक्षिण पूर्व— उत्त पश्चिम	72° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन।
7.	180—360	दक्षिण उत्तर	80° पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन।
8.	110—290	दक्षिण पूर्व— उत्तर पश्चिम	55° उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन।
9.	90—270	पूर्व पश्चिम	54° दक्षिण	ज्वाइन्ट प्लेन।
10.	70—250	उत्तर पूर्व— दक्षिण पश्चिम	36° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन।

क्रमशः पेज—2 पर

Scanned by Camera Scanner
Scanned by Camera Scanner

11.	150–330	दक्षिण पूर्व– उत्तर पश्चिम	74° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन।
12.	40–220	उत्तर पूर्व– दक्षिण पश्चिम	72° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन।
13.	130–310	दक्षिण पूर्व– उत्त पश्चिम	57° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन।

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू–भाग में स्थित चट्टानें 20° से 48° के मध्य उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झूकी हैं एवं इन चट्टानों पर 4 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

4:– स्थल वर्णनः– प्रस्तावित सड़क संरेखन, पिथौरागढ़ झूलाघाट मोटर मार्ग पर स्थित किल्ल से प्रारम्भ होता है। यह संरेखन पहाड़ी के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी ढलान पर प्रस्तावित हैं। यह ढ़लान क्षेत्र समान्य से मध्यम पहाड़ी ढ़लान की श्रेणी के अन्तर्गत है। यह संरेखन अन्त में वर्तियाकोट के निचे की ओर स्थित पहाड़ी की धार पर समाप्त होता है। इस सम्पूर्ण समरेखन में 5 सूखे नाले तथा 1 पेरिनियल नाले विद्यमान है। यह संरेखन निजी नाप भूमि एवं बजर भूमि पर प्रस्तावित है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.000–0.200 किमी0 तक 1:20 के राइज, 0.475–0.525 किमी0 तक लेवल, 0.525–1.300 किमी0 तक 1:20 के राइज, 1.300 –1.650 किमी0 तक 1:24 के राइज, 1.650–1.775 किमी0 तक 1:40 के राइज, 1.775–2.325 किमी0 तक लेवल, 2.325–2.700 किमी0 तक 1:20 के फाल, 2.700–3.175 किमी0 तक 1:20 के राइज, 3. 175–3.650 किमी0 तक 1:40 के राइज तथा 3.650–4.00 किमी0 तक 1:20 के राइज में प्रस्तावित है। सड़क संरेखन में क्रमशः 0.200–0.250 किमी0 तथा 0.445–0.525 किमी0 2 हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित है। यह संरेखन किल्ल नामक स्थान से प्रारम्भ होकर बडालू गांव के मध्य स्थित मंन्दिर के गेट के पास से होकर वर्तियाकोट तक पहुंचता है। प्रस्तावित भू–भाग की भूगर्भीय स्टेट्रीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत
डेब्रिज
डोलोमाइट
सेल
स्लेट
सिस्ट
स्लेट
सेल

क्रमशः पेज–3 पर

Scanned by Camera Scanner
Scanned by Camera Scanner

5:– स्थाईत्व का विचारः– प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू–भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 5 सूखे तथा 1 पेरिनियल नाला है।
3. पहाड़ी ढ़लान सामान्य से मध्यम ढलान श्रेणी के अंन्तर्गत है।
4. संरेखन का भाग पंचायती, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5. यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन V के अन्तर्गत है।
6. सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:20 के राइज, 1:24 के राइज, 1:40 की राईज, 1:20 के फाल एवं लेवल में प्रस्तावित है।
7. सरेखन कुछ भाग कृर्षि भूमि से होकर गुजरता है।
8. इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्टाने सेल–स्लेट की हैं।
9. इस सड़क संरेखन में 2 हेयर पिन बैण्डस् भी प्रस्तावित हैं।

6 **सुझावः–** उपरोक्त सड़क संरेखन के भू–भाग की संरचना ,वनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिथितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते है।

1. सूखे नाले पर स्कपर/डबल स्कपर का निर्माण किया जाय।
2. पेरिनियल नाले पर कल्वर्ट का निर्माण किया जाना है।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
4. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
5. आवश्यतानुसार ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
6. गांव के आस–पास मार्ग निर्माण के समय बिस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
7. हेयर पिन बैण्ड को मानको के अनुरूप निर्मित किया जाय।
8. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गो के निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

क्रमशः पेज–4 पर

Scanned by Camera Scanner
Scanned by Camera Scanner

10 निष्कर्षः– उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का 4.00 किमी0 की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणीः– सड़क संरेखन के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया जिसमें 3 हेयर पिन बैण्ड के प्रस्तावित होने के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

(डा0 आर0 सी0 उपाध्याय)
भू-वैज्ञानिक
हिमाद्री-भ्यू, रानीधारा टाप
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)

सत्य प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
मध्यीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

D:\P\Geologist report.doc

Scanned by Camera Scanner
Scanned by Camera Scanner

प्रारुप–34

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0 / –
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

छाया प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
पिथौरागढ

Scanned by Camera Scanner